निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 99/अपील/20

सीताराम आ0 भैरूलाल भील नि0 पाटलिया कुल्मी तहसील बकानी (अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 11.09.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी मि0न0 486/20

उपस्थित:- पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 10.11.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 11.09.2020 जो मिसल न0 486/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम पाटलिया कुल्मी की आराजी ख0न0 164 व 594/745 रकबा 1.07 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 30 दिवस का सिविल कारावास व 108 रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नही दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट 7 दिवस के अन्दर पटवारी हल्का से कब्जा छोडने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा इसलिये कब्जा छोडने का शपथ पत्र साथ में सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट या अपीलान्ट के दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नही रहने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका इस कारण प्रकरण को निस्तारण मेरिट पर किया जा रहा है। दौराने सुनवाई पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1229 निर्णय दिनांक 28.11.2019 से आराजी से बेदखल किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही नायब तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की और से कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अंकन किया गया है किन्तु पत्रावली में उक्त शपथ पत्र संलग्न नही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़